रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 306] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 1975/श्रावण 21, 1897
No. 306] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 1975/SRAVANA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

शुद्धि-पत्र

नयी दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

का० आ० 430 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) दिनांक 8 अक्तूबर, 1974 के पृष्ठ 2030 से 2032 तक प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 599(अ) में कृपया निम्नलिखित संशोधन कर लिए जायें :—

1. पृष्ठ 2030 पर नीचे से पांचवीं पंक्ति में "नियमों" के स्थान पर "नियमों" पढ़ा जाए।
2. पृष्ठ 2031 पर ऊपर से नौवीं पंक्ति में "सेवा, निवृत्त" के स्थान पर "सेवा-निवृत्त" पढ़ा जाए।
3. पृष्ठ 2031 पर ऊपर से दसवीं पंक्ति में "हो" के पश्चात् उद्धरण चिह्न ' " ' लगा कर पढ़ा जाए।

4. इसी पृष्ठ पर नीचे से ग्यारहवीं पंक्ति में "स्वंय" के स्थान पर "स्वयं" पढ़ा जाए ।

5. इसी पष्ठ पर नीचे से छठी पंक्ति में 'मूल्यांकन' के स्थान पर 'मूल्यांकक' पढ़ा जाए ।

6. पृष्ठ 2032 पर दूसरी पंक्ति से दसवीं पंक्ति तक "प्ररुपण" के स्थान पर "प्ररुप ण" पढ़ा जाए ।

7. इसी पृष्ठ पर नीचे से तीसरी पंक्ति में "743" के स्थान पर "736" पढ़ा जाए ।

[सं० 1028/फा० सं० 143(5)/74–टी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975